न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–3 अम्बेडकरनगर

पीठासीन–श्री मृदुल कुमार मिश्रा ,.....''उच्चतर न्यायिक सेवा''

गैंगेस्टर वाद संख्या–235ए/2012

सरकार बनाम

विनोद कुमार तिवारी
अपराध संख्या–47/2010
धारा–3(1) यू.पी.गैंगेस्टर एक्ट
थाना–भीटी
जिला–अम्बेडकरनगर

निर्णय

1. इस गैंगेस्टर वाद संख्या–235ए/2012 के अंतर्गत अभियुक्त विनोद कुमार तिवारी पुत्र शिवनरायन तिवारी निवासी ग्राम सिगरा थाना भीटी जनपद अम्बेडकरनगर का विचारण अपराध संख्या–47/2010 धारा–3(ए) यू.पी.गैंगेस्टर एक्ट थाना भीटी जनपद अम्बेडकरनगर के अपराध के संबंध में मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन का कथानक इस प्रकार है कि मुकदमा वादी दिनांक 23.02.10 को एस.ओ.खुर्शीद अहमद मय हमराह कां0 विनोद कुमार यादव, कां0 रामधनी यादव मय एस.सी.जगन्नाथ पांडेय व सरकारी जीप के बहवाले रपट सं0 19/17.00 बजे रवाना होकर देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित में मामूर था ग्राम सिंगरा व आसपास के लोगों से बातचीत करने के दौरान ज्ञात हुआ कि विनोद कुमार तिवारी पुत्र शिवनरायन तिवारी, रामजी तिवारी पुत्र शिवदत्त तिवारी व पप्पूनाई पुत्र रामदीन नाई साकिनान सिंगरा थाना भीटी जनपद अम्बेडकरनगर साथ मिलकर थाना क्षेत्र व पूरे उ0 प्र0 में आर्थिक भौतिक लाभ हेतु भा0दं0सं0 के अध्याय 16, 17 व 22 में वर्णित अपराध कारित कर आम जनता में इतना भय आतंक व दहशत पैदा किए हैं कि जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध मुकदमा लिखाने व गवाही देने का साहस नहीं करता है। यदि कोई व्यक्ति मुकदमा लिखा दिया तो गवाही देने का साहन नहीं करता है। इस गैंग का लीडर विनोद कुमार तिवारी है। इस गैंग का विवरण निम्नवत है,

गैगलीडर विनोद कुमार तिवारी पुत्र शिवनरायन तिवारी निवासी सिंगरा थाना भीटी अम्बेडकरनगर मु.अ.सं.6/10 धारा 307,411,420 भा0दं0सं0, मु.अ.सं. 7/10 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, मु.अ.सं.निल/10 धारा 394,302,201,420,411 भा0दं0सं0, रामजी तिवारी पुत्र शिवदत्त निवासी ग्राम सिंगरा थाना भीटी अम्बेडकरनगर मु.अ.सं. 6/10 धारा 307,411,420 भा0दं0सं0, मु.अ.सं. निल/10 धारा 302,201,394,420,411 भा0दं0सं0, पप्पू नाई पुत्र रामदीन निवासी ग्राम सिंगरा थाना भीटी, अम्बेडकरनगर मु.अ.सं. 6/10 धारा 307,411,420 भा0दं0सं0, मु.अ.सं.निल/10 धारा 302,201,394,420,411 भा0दं0सं0, मु.अ.सं.119/02 धारा 307,452,323,504 भा0दं0सं0 व 3(2) 5 एससी/एसटी एक्ट उपरोक्त व्यक्तियों का उपरोक्त आधार मुकदमे के कारण गैंग चार्ट तैयार संबंधित से अनुमोदन के उपरांत जिलाधिकारी महोदय को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया था उनके द्वारा गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया जिससे स्वयं प्रमाणित होता है कि उपरोक्त गैंग एक सुसंगठित आपराधिक गिरोह है तथा उपरोक्त अभियुक्तगण आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु अपराध कारित करते हैं परन्तु पीड़ित लोग इनके भय व आतंक के कारण अभियोग पंजीकृत नहीं कराते आम जनमानस में इस गैंग के लीडर व सदस्यों का भय व आतंक व्याप्त है जिससे जनमानस अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इनकी आपराधिक गतिविधियां समाज के लिए काफी खतरनाक व भयानक हैं जो उ.प्र. गिरोह बंद क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1086 की धारा 3(1) यू.पी.गैंगेस्टर एक्ट की परिधि में आता है।

3. बाद विवेचना अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र **प्रदर्श क–3** प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार करते हुए विचारण की मांग की।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में पी. डव्लू. 1 भरत मिश्रा पैरोकार को प्रस्तुत किया गया है।

5. अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 लेखबद्ध किया गया।

6. मैनें उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व मैं यहां पर अभियोजन साक्षी के बयान का उल्लेख कर देना आवश्यक समझता हूं।

7. पी.डव्लू.1 भरत मिश्रा– पैरोकार है जिन्होने अपनी मुख्य परीक्षा

साक्ष्य में कथन किया है कि मैं एस.आई खुर्शीद अहमद के साथ नियुक्त रहा हूं। वाद सं. 235ए/12 सरकार बनाम विनोद तिवारी धारा 3(1) उ.प्र.गैंगेस्टर एक्ट थाना भीटी मं उनके द्वारा खिलायी गयी एफआईआर तहरीर की फोटो प्रति पत्रावली में संलग्न है जिसमें मैं प्रमाणित करता हूं जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। इस मुकदमे की एफआईआर मूल चिक कां सालिक राम द्वारा लिखी गयी है जिसकी फोटो प्रति पत्रावली में संलग्न है जिसे मैं प्रमाणित करता हूं जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। इस अभियोग की विवेचना एस. आई.मनोज कुमार द्वारा की गयी थी। उनके द्वारा इस अभियोग में प्रेषित आरोप पत्र की फोटो प्रति पत्रावली में संलग्न है जिसे मैं प्रमाणित करता हूं जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि मेरी नियुक्ति अक्टूबर 2015 में थाना भीटी के पैरोकार के पद पर हुई है। मैं इस मुकदमे के विवेचक एस.आई.मनोज कुमार को लिखते व हस्ताक्षर करते देखा है। चिक एफआईआर लेखक सालिकराम मेरी नियुक्ति भीटी थाने पर होने पर नहीं थे। यह कहना गलत है कि मेरे साथ भीटी में नियुक्त न होने के कारण मैने सालिकराम को लिखते व हस्ताक्षर करते नहीं देखा है। यह भी कहना गलत है कि मुकदमा उपरोक्त के विवेचक मनोज कुमार की नियुक्ति दौरान विवेचना महरूआ में थी इसलिए मैं उनको लिखते व हस्ताक्षर करते नहीं देखा है।

8. अभियुक्त की तरफ से शेष अभियोजन प्रपत्रों की मौलिकता को स्वीकार किया गया है तथा अपने धारा 313 दं.प्र.सं. के बयान में मुकदमे को सही चलना बताया है तथा स्वयं को जेल में बिताई गई अवधि से दण्डित करने का निवेदन किया। ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को स्वीकार कर लिये जाने की वजह से अभियोजन अभियुक्त विनोद कुमार तिवारी के विरूद्ध धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अपराध को साबित करने में सफल रहा है। अभियुक्त विनोद कुमार तिवारी को अंतर्गत धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 1986 के तहत दोष सिद्ध किये जाने योग्य है।

9. अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित है उसको धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया

कलाप निवारण अधिनियम, 1986 के तहत दोष सिद्ध किया जाता है। दण्ड आदेश दण्ड के प्रश्न पर सुनने के उपरांत पारित किया जायेगा।

दिनांक–14.09.2016

(मृदुल कुमार मिश्रा)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय कक्ष सं. 3
अम्बेडकरनगर

दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से कथन किया गया है कि अभियुंक्त के परिवार में पैरवी करने वाला कोई नहीं है तथा उसे जेल में बिताई गई अवधि से दण्डित किया जाए। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि से दण्डित किया जाना न्यायोचित पाता हूं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त विनोद कुमार तिवारी को धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 1986 के तहत 06 वर्ष 06 माह 05 दिन के सश्रम कारावास एवं मु. 5000/–(पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 03 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जायेगी।

दिनांक–14.09.2016

(मृदुल कुमार मिश्रा)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय कक्ष सं. 3
अम्बेडकरनगर

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–14.09.2016

(मृदुल कुमार मिश्रा)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय कक्ष सं. 3
अम्बेडकरनगर